# न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा।

**उपस्थित–भगवान दास गुप्ता.....  उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा– UP2107**

दाण्डिक वाद संख्या–1161/2011

राज्य  प्रति  चन्द्रपाल सिंह उर्फ रामचन्दर आदि
अपराध संख्या–269/1989
धारा–448 भा0दं0सं0
थाना–कोतवाली नगर, जिला बांदा।

## निर्णय

**दिनांक–08.08.2023**

1. पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण में थाना कोतवाली नगर जिला बांदा की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण चन्द्रपाल सिंह उर्फ रामचन्दर, लल्लू, रामकुमार, मोहन एवं सफीक के विरूद्व धारा–448 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान के पश्चात लगभग 35 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किन्तु अभियोजन द्वारा प्रकरण के निस्तारण में कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

2. इस न्यायालय के मत में इन परिस्थितियों में पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित प्रश्नगत समन वाद की कार्यवाही को माननीय उच्चतम् न्यायालय के सात माननीय जजों की संविधान पीठ द्वारा 2002 (4) एस0सी0सी 578 में प्रकाशित वाद विधि पी0 रामचन्द्र राव बनाम कर्नाटक राज्य के पैरा 29 में पारित अभिमत कि "दण्ड न्यायालय अभियुक्त के त्वरित विचारण के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिये दाण्डिक वादों के त्वरित विचारण हेतु धारा 309, 311 व 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं तथा (2009) 3 एस0सी0सी 355 में प्रकाशित वाद विधि वकील सिंह बनाम बिहार राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अभिमत कि किसी अभियुक्त के त्वरित परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय अभियुक्त के विरूद्व वाद को समाप्त कर सकती है तथा माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा सी.एल.नं. 52/2006 दिनांकित 15.11.2006 एव नं. 9410/एफ.टी.सी. सेल/इलाहाबाद दिनांकित 02.08.2022 द्वारा प्राचीन वादो को धारा 258 दं.प्र.सं.के अर्न्तगत निस्तारित करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अनुसरण में धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत रोका जाना न्याय संगत है।

3. चूंकि प्रकरण वर्ष 1989 से न्यायालय में लम्बित है तथा प्राचीन वादों की सूची में शामिल है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कथित अपराध एक वर्ष के लिए कारावास या एक हजार रूपये अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय है। प्रकरण में अब तक अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, इसलिये आरोपित अभियुक्तगण प्रकरण में उन्मोचित किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण को धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरांत नियमानुसार अभिलेखागार संप्रेषित हो।

( भगवानदास गुप्ता )
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दिनांक–08.08.2023  बांदा।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

( भगवानदास गुप्ता )
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दिनांक–08.08.2023  बांदा।